अभ्यर्थी कर लें तैयारी, सितंबर या अक्तूबर में ग्रुप सी, नवंबर में ग्रुप डी की परीक्षा प्रस्तावित

आयोग की ओर से सीईटी ग्रुप सी फेज-2 के लिए प्रस्तावित है तिथि

चंडीगढ़। हरियाणा में प्रस्तावित संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने फेज-2 ग्रुप सी और डी की प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं को लेकर इंतजामों पर मंथन शुरू कर दिया है। अभी तक आयोग ग्रुप सी के लिए सितंबर या अक्तूबर में परीक्षा आयोजित कराने की तैयारियों में जुटा है। ग्रुप डी की परीक्षा नवंबर माह में प्रस्तावित है।

आयोग ने ग्रुप सी फेज-2 की परीक्षा के लिए अंबाला, पंचकूला, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत के जिला उपायुक्तों से परीक्षा केंद्रों का ब्योरा मांगा था। साथ ही अगस्त से अक्तूबर के बीच शनिवार-रविवार को दो-दो दिन परीक्षा की अवधि के दौरान अन्य कोई परीक्षा प्रस्तावित तो नहीं यह भी पूछा था।

फिलहाल संसाधनों और इंतजामों के ब्योरे के बाद आयोग ने ग्रुप सी, डी के प्रस्तावित माह तय किए हैं। आयोग के सदस्य भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसकी तैयारियां पांच-छह माह पहले ही शुरू करनी होती हैं।

इस वर्ष जनवरी माह और उसके बाद कई पदों के लिए आवेदन मांगे गए है। अब आयोग की ओर से उसी क्रम में तैयारियां जारी हैं।

हरियाणा में ग्रुप डी के लिए वर्ष 2023 के बाद यानी करीब तीन वर्ष बाद फिर से पोर्टल खोला गया है। इस बार आवेदकों की संख्या पिछली बार से करीब 1.50 लाख अधिक रही। पिछली बार 13.50 लाख आवेदन आए थे जबकि इस बार 15.93 लाख आवेदन हुए हैं। ब्यूरो

सहायक जिला अटॉर्नी, अधीक्षक (कानूनी) परीक्षा नौ अगस्त को

चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला अटॉर्नी, अधीक्षक (कानूनी) पदों के लिए संयुक्त विषय ज्ञान परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा नौ अगस्त को होगी। आयोग की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम में परीक्षा सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक होगी। इसमें अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी और विधि व विधायी विभाग में अधीक्षक (कानूनी) के पद शामिल हैं। जो उम्मीदवार विषय ज्ञान परीक्षा के लिए पात्र हैं वहीं शामिल होंगे। प्रवेश पत्र तीन अगस्त से ए4 साइज के कागज पर प्रिंट करना अनिवार्य है। छोटे आकार के या अस्पष्ट फोटो/हस्ताक्षर वाले प्रवेश पत्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ब्यूरो